दिनांक 04.12.2020 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में सर्वप्रथम निदेशालय में प्रतिनियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों का निदेशालय स्तर पर सम्पादित किये जा रहे कार्यो की जानकारी का लिखित परीक्षण जो दिनांक 03.12.2020 को लिया गया था का परिणाम बैठक में जारी किया गया एव इस संबंध में कहा गया कि अधिकांश कर्मियों को सर्वे से संबंधित जानकारी का अभाव है। अतः निदेश दिया गया कि सभी कर्मी निदेशालय स्तर पर सम्पादित किये जा रहे कार्यो की जानकारी को अद्यतन रखें। उक्त लिखित परीक्षण का परिणाम संबंधित कर्मी के व्यक्तिगत संचिका में संधारित करने का भी निदेश संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया। अवकाश एवं कतिपय कारणों से दिनांक 18.09.2020 के बाद साप्ताहिक समीक्षा बैठक स्थगित रही। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कहा गया की समीक्षात्मक बैठक प्रत्येक शुक्रवार को 4:00 बजे अपराह्न में नियमित रूप से आयोजित की जाएगी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.12.2020 एवं दिनांक 10.12.2020 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय अपर समाहर्त्ताओं की बैठक हेतु प्राप्त एजेण्डा एवं निदेशालय स्तर पर सम्पादित किये जा रहे विभिन्न कार्यो के संबंध में निम्नवत समीक्षा की गयी :–

1. <u>भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाने वाला प्रस्ताव</u>

   उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के जी0आई0एस0 सलाहकार/सहायक/लेखापाल/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भारत सरकार को भेजे जाने वाले सभी प्रकार के प्रस्तावों को अविलम्ब तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय। इस हेतु यदि आवश्यक हो तो वैसी पुरानी संचिकाओं का भी अध्ययन कर ले जिसके माध्यम से पूर्व में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे एवं स्वीकृत किये गए थे। ऐसा करने से वर्त्तमान के प्रस्ताव में त्रुटि की संभावना नगण्य होगी एवं स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। प्रस्ताव के वित्तीय भाग पर विशेष ध्यान देने हेतु निदेश दिया गया।

2. <u>सूचना, शिक्षा एवं प्रसार (IEC) के लेवेल – 4 तक की योजना</u>

   उक्त के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि श्री राजेश कुमार सिंह, स0ब0प0 द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है एवं जल्द ही अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित कर दिया जाएगा।

3. <u>बजट से संबंधित</u>

   अधोहस्ताक्षरी द्वारा बजट संबंधी मांग का समेकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित को निदेश दिया गया कि नवनियोजित संविदा कर्मियों के वेतन आदि मद में प्राप्त होने वाले आवंटन के आधार पर सारी तैयारी सुनिश्चित कर लें ताकि इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं हो।

4. **आधुनिक अभिलेखागार**

उक्त के संबंध में उप सचिव को निदेश दिया गया कि आधुनिक अभिलेखागार के संचालन की प्रक्रिया से संबंधी प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5. **डैशबोर्ड की अद्यतन स्थिति**

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग से संबंधित डैशबोर्ड के आंकड़ों को अद्यतन करने का निदेश आई0टी0 कोषांग के प्रभारी को दिया गया।

6. **ETS से संबंधित**

लिये गए निर्णय के अनुसार जिसमें 550 पद पर बहाल होने वाले अमीनों द्वारा प्रयोग में लाये जाने हेतु 550 ETS मशीन के क्रय से संबंधित प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश संबंधित को दिया गया।

7. **प्रपत्र – 6**

पायलट अंचलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रपत्र–6 की इन्ट्री दिनांक 05.12.2020 से प्रारंभ होनी है इस हेतु सारी आवश्यक तैयारी करने का निदेश संबंधित को दिया गया।

8. **नव नियोजित संविदा कर्मियों से संबंधित**

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि स्थानान्तरित/पदस्थापित नवनियोजित संविदा कर्मियों के संबंध में सारी जानकारी/डाटा को अद्यतन रखा जाय। संबंधित स्थापना शाखा को यह आवश्यक रूप से जानकारी होनी चाहिएं की किस शिविर में कौन–कौन से कर्मी/पदाधिकारी कार्यरत हैं। इस हेतु वे निदेशालय के नोडल पदाधिकारी अथवा आई0टी0 सेल से भी मदद ले सकते है।

उक्त के संबंध में संबंधित सहायक द्वारा संबंधित सॉफ्टवेयर के Access की Permission का अनुरोध किया गया जिसे स्वीकार करते हुए आई0टी0 कोषांग को संबंधित सॉफ्टवेयर में Access करने हेतु Permission देने का निदेश दिया गया ताकि संबंधित को शिविर में पदस्थापन की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

(ख) निदेशालय स्तर से नवनियोजित संविदा कर्मियों के EPF खोलने हेतु जिलों को भेजे गए पत्र का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित सहायक को दिया गया।

(ग) नव नियोजित संविदा कर्मियों के फोल्डर को स्कैन करने की आवश्यकता संबंधित सहायक द्वारा व्यक्त किये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कहा गया कि पर्सनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अभी मॉडिफिकेशन किया जा रहा है जिसके पश्चात् सभी नियोजित संविदा कर्मियों के फोल्डरों (Original, Councelling एवं Joining से संबंधित) को उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कैन कर संधारित किया जाना है। इस संबंध में अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश आई0टी0 कोषांग को दिया गया।

(घ) संविदा नियोजन की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है एवं रिक्त/शेष पदों पर चयन का विकल्प यथा पुनः विज्ञापन अथवा पुराने लिस्ट के माध्यम से करने आदि से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया ताकि इसे विभाग को अग्रतार कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया जा सके।

9. अन्यान्य

(क) उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर समाहर्त्ताओं की समीक्षात्मक बैठक में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए एजेंण्डा के अनुरूप प्रतिवेदन एवं प्रस्तुतीकरण तैयार करने का निदेश संबंधित को दिया गया।

(ख) उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा तकनीकी शाखा को सर्वेक्षण कार्य से संबंधित Challanges एवं उसके Solution से संबंधित एक प्रतिवेदन तैयार करने का भी निदेश दिया गया।

सभी कर्मियों को पूर्व की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश का अनुपालन एवं अपने पटल से सम्बन्धित किये गए कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में शामिल होने के निदेश के साथ अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह) 5/12/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 170 /गो0 पटना, दिनांक 05-12-2020

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित कर्मी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :– 170 /गो0 पटना, दिनांक 05-12-2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक
5/12/20